FORM No. 111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी आहोर मुकाम आहोर

तहसीलदार आहोर बनाम [illegible] अध्यक्ष राजेन्द्र नगर निर्माण सहकारी समिति-आहोर

किस्म मुकदमा अन्तर्गत धारा 136 L.R.Act 1956 नम्बर 79/सन् 2019

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	सम्मन व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल जारी हुए
20-11-19	तहसीलदार आहोर द्वारा दिनांक 19-11-2019 के जरिये मौजा आहोर में के वर्तमान खसरा नम्बर 944 के अन्तर्गत रेकर्ड राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत रेकर्ड दुरूस्ती हेतु पेश किया गया है जिसे दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर संबंधित पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दिनांक 29-11-19 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	
29-11-19	पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थीगण के नोटिस तामील हुआ प्राप्त जो पत्रावली शामिल हो। अप्रार्थीगण गैर हाजिर। एक तरफा कार्यवाही कि जाती है। निर्णय हुआनामा लिखवाजाकर पत्रावली शामिल हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी आहोर (जालोर)	

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आहोर, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्रशांत शर्मा– **RAS**

प्रार्थी बनाम अप्रार्थी

तहसीलदार आहोर मांगीलाल पुत्र रिखबचन्द जैन
जाति जैन वगैरह

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 195

प्रकरण सं. 79 /2019 निर्णय दिनांक 29.11.2019

निर्णय

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री तखतसिंह पटवारी आहोर द्वारा जरिये तहसीलदार आहोर के प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 131 L.R.R. Act 1956 पेश कर मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन इन खसरों की तरमीम की हुई नही है। उक्त दोनों खसरा नम्बर गै.मु. आबादी व समर्पित भूमि दोनों ही शामील है पर राजेन्द्र गृह निमार्ण सहकारी समिति लि. आहोर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है । खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर समर्पित भूमि किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) की तरमीम नक्शे में नही होने व जमाबन्दी में अलग खसरा दर्ज होने के कारण जमाबन्दी व नक्शा में भिन्नता होने के कारण डी.आई.एल.आर. एम.पी योजना अन्तर्गत वन टू वन मेपिंग नहीं हो पा रही है। इसलिए तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त प्रकरण इस न्यायालय में खसरो का एकीकरण कर दुरस्ती आदेश जारी करने हेतु पेश किया गया। उक्त प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली कायम कर जरिये नोटिस संबंधित पक्षकारान् को साक्ष्य सबूत व सुने जाने हेतु तलब किया गया। संबंधित पक्षकारान् को जरिये नोटिस सूचित करने के उपरान्त भी अपना जवाब या साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया इसलिए एक तरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। भू–अ.निरीक्षक आहोर व पटवारी हल्का आहोर की जांच रिपोर्ट अनुसार मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87

उपखण्ड अधिकारी
आहोर (जालोर)

Scanned by CamScanner

हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर समर्पित भूमि किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन इन खसरों की तरमीम की हुई नही है। उक्त दोनों खसरा नम्बर गै.मु. आबादी व समर्पित भूमि दोनों ही शामील है पर राजेन्द्र गृह निमार्ण सहकारी समिति लि.आहोर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है । खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) की तरमीम नक्शे में नही है व जमाबन्दी में अलग खसरा दर्ज है। इसलिए उक्त दोनों खसरा नम्बर का एकीकरण किया जाकर दुरूस्ती किया जाना उचित बताया है तथा तहसीलदार आहोर द्वारा उक्त दुरस्ती करने की अनुशंषा की है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का गहन अध्ययन एवं मनन किया गया। मौजा आहोर के वर्तमान खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) वर्तमान में जमाबन्दी में दर्ज है लेकिन इन खसरों की तरमीम की हुई नही है। उक्त दोनों खसरा नम्बर गै.मु. आबादी व समर्पित भूमि दोनों ही शामील है पर राजेन्द्र गृह निमार्ण सहकारी समिति लि. आहोर आवासीय कॉलोनी बसी हुई है। खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर किस्म गै.मु. आबादी व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर किस्म चाही प्रथम जाव प्रथम (सिवाय चक) की तरमीम नक्शे में नही होने व जमाबन्दी में अलग खसरा दर्ज होने के कारण दोनों खसरों का एकीकरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा आहोर के खसरा नम्बर 944 रकबा 12.87 हैक्टर व खसरा नम्बर 944/1 रकबा 2.53 हैक्टर का एकीकरण करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार आहोर को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
आहोर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Prashant Sharma
Date: 2019.12.28 14:22:46 IST
Reason: SelfAttested
Location: